30 Rs.

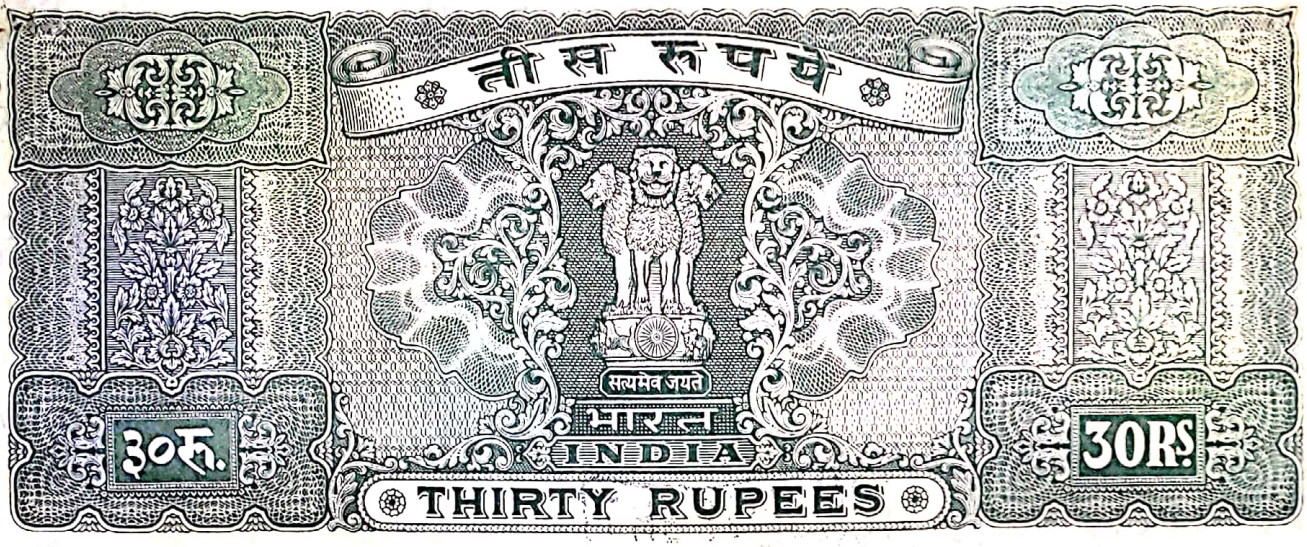

1264
29/7/93

न्यास-पत्र (ट्रस्ट डीड) स्टाम्प : रू•

मैं, बनवारी लाल जिन्दल पुत्र श्री प्रनेश्वरी दास जिन्दल, सुईवाला निवासी 44-ए, कमला नगर, दिल्ली-110007 अपने क्षेत्र (तोशाम, जिला भिवानी) में एक महाविद्यालय चलाना चाहता हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में पहले कोई सरकारी या गैर सरकारी महाविद्यालय नहीं है और आसपास के विद्यार्थियों को भिवानी अथवा हिसार जाना पड़ता है जिस कारण उन्हें काफी असुविधा होती है । अतः इस महाविद्यालय को चलाने के लिए एक एजूकेशनल ट्रस्ट का निर्माण करना चाहता हूँ । मैं इस ट्रस्ट के लिए रू•11,000/- (रूपए ग्यारह हजार) देना चाहता हूँ । इस कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन नगर पालिका तोशाम देगी । इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसका विस्तार पूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है :-

ट्रस्ट का नाम

इस ट्रस्ट का नाम "श्री बनवारी लाल जिन्दल सुईवाला एजूकेशनल ट्रस्ट" तोशाम हरियाणा होगा ।

2• कॉलेज का नाम

इस कॉलेज का नाम बनवारी लाल जिन्दल सुईवाला कॉलेज तोशाम होगा ।

Banwari Lal Jindal

... 2

Scanned with CamScanner

1638/1
17/7/92

बनवारी लाल [illegible] तोशाम, हरियाणा [illegible] होगा

(30 + $\frac{5}{14}$ = 100/-) [illegible] (नगरपालिका तोशाम) तोशाम, भिवानी

Agreement

बनवारी लाल

Banwari Lal

	स्टाम्प		
	80/-		
इस्टाम्प ड्यूटी	फीस	नकलें	कुल
11,000/-	151/25	1/50	152/75

यह प्रलेख आज दिनांक 29/7/93 बुधवार समय 12/1 बजे दिन के [illegible] बनवारी लाल पुत्र श्री परमेश्वरी दास निवासी [illegible] के द्वारा [illegible] रजिस्ट्री हमारे [illegible] किया।

[illegible]
भिवानी।

बनवारी लाल उपरोक्त [illegible] को विषय प्रलेख पढ़कर सुनाया [illegible] गया जिसको सुनकर व समझकर स्वीकार किया।

[illegible]
~~[illegible] हरी [illegible]~~ प्रहलाद राय नम्बरदार निवासी [illegible] चन्दन सिंह नम्बरदार निवासी
[illegible] दिनांक 29/7/93

[illegible]
भिवानी।

3. <u>ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय</u>

इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय आमतौर पर तोशाम होगा या उस अन्य स्थान पर भी स्थापित हो सकेगा जहां पर ट्रस्टीगण समय और सुविधानुसार चाहेंगे और आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट के शाखा कार्यालय भी जहां कहीं भी चाहें स्थापित कर सकेंगे ।

4. <u>ट्रस्ट का कोष</u>

इस समय मैंने ट्रस्ट के कोष में रु॰11,000/- (रुपए ग्यारह हजार) देता हूँ और इसके अतिरिक्त भविष्य में ट्रस्ट की जो भी चल व अचल सम्पत्ति भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त होगी या ट्रस्ट सम्पत्ति में जो भी वृद्धि होगी वह सब ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जाएगी ।

5. <u>ट्रस्ट के उद्देश्य</u>

इस ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(क) यह ट्रस्ट तोशाम जिला भिवानी में श्री बनवारी लाल जिन्दल सुईवाला कॉलेज की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्ध करेगा एवं शिक्षा प्रचार तथा शिक्षा के विकास के लिए विद्यालय, महाविद्यालय एवं पाठशाला आदि का निर्माण एवं संचालन करेगा ।

(ख) विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास के लिए समय-समय पर सेमीनार, भाषण प्रतियोगिता सम्मेलन, प्रदर्शनी, विचार गोष्ठियां, खेलकूद प्रतियोगिता व अन्य आयोजन करना ।

Banwari Lal

5

1638/2
17/12/92

बनवारीलाल

प्रहलाद राम
नम्बरदार
गवाह नं० 1

चन्दनसिंह
गवाह नं० 2

प्रहलाद

चन्दनसिंह

29/7/93

29-7-93

1264

1

395

123

1

2125

83/91

5 Rs

INDIA

पाँच रुपये पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

§ग§ विद्यार्थियों में नैतिकता, देशप्रेम, स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने हेतु उचित उपाय करना ।

§घ§ कला, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा मानवता कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में शोध कार्यो के विकास व प्रचार के लिए शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना और इसके लिए शोधशाला, प्रयोगशाला आदि की स्थापना करना, उनका संचालन करना व प्रबन्ध करना, श्रम के महत्व को बढ़ावा देना और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षा का विकास करना ।

§ड•§ शिक्षा के फैलाव हेतु कॉलेज पुस्तकालय, वाचनालय, रीडिंग रूम स्थापित करना व संचालन करना आदि ।

अन्य ऐसे कार्य जिनका वर्णन ऊपर नहीं आया परन्तु जो शिक्षा के लिए ट्रस्टीगण उचित समझें कर सकते हैं ।

5• बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

इस ट्रस्ट का एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होगा जिसकी संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक 9 होगी । ट्रस्टी क्रम संख्या 1 से 9 जीवन काल तक अपने पद पर नियुक्त रहेंगे ।

... 4

Scanned with CamScanner

5

1638/3

17/12/92

Scanned with CamScanner

5 Rs

ट्रस्टीगण क्रम संख्या 6 से 9 तत्कालीन पदाधिकारी जो भी हों, रहेंगे ।

6• ट्रस्टीगणों के नाम

1•	श्री बनवारी लाल जिन्दल सुईवाला	संस्थापक ट्रस्टी
2•	श्री जगमोहन जिन्दल	ट्रस्टी
3•	श्री जयप्रकाश जिन्दल	ट्रस्टी
4•	श्री सुरेन्द्र कुमार जिन्दल	ट्रस्टी
5•	श्री भीम अग्रवाल	ट्रस्टी
6•	जिला उपायुक्त भिवानी	ट्रस्टी
7•	उप-मण्डल अधिकारी (ना•) ~~भिवानी~~ तोशाम	ट्रस्टी
8•	~~तहसीलदार तोशाम~~ [illegible]	ट्रस्टी
9•	~~सचिव~~ प्रधान नगरपालिका तोशाम	ट्रस्टी

क्रम संख्या 2 से 5 की नियुक्ति संस्थापक ट्रस्टी द्वारा की जाएगी और संस्थापक ट्रस्टी द्वारा पद रिक्त करने के पश्चात ट्रस्टी नं•2 से 5 की नियुक्तियां उसके मनोनीत संस्थापक ट्रस्टी द्वारा की जाएगी ।

7• ट्रस्टी की योग्यताएं

इस ट्रस्ट का ट्रस्टी केवल वही होगा जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो:

1• जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो ।

2• जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में विश्वास रखता हो ।

1638/4
17/12/92

5

Scanned with CamScanner

5 RS

3. जो पागल अथवा विकृत मस्तिष्क वाला न हो ।

4. जो किसी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित न हो ।

5. जो दिवालिया घोषित न हो ।

8. <u>ट्रस्टी पद से मुक्ति</u>

ट्रस्टी का पद निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी घटना के घटित होने पर रिक्त समझा जाएगा ।

1. ट्रस्टी की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु तिथि से ।

2. ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने पर उसके त्याग-पत्र की मंजूरी की तिथि से ।

3. अदालत द्वारा दिवालिया या पागल करार दिए जाने पर न्यायालय की घोषणा की तिथि से ।

4. अदालत द्वारा किसी नैतिक अपराध से दण्डित होने पर न्यायालय की घोषणा की तिथि से ।

नोटः यदि कोई ट्रस्टी, ट्रस्ट की सम्पत्ति को अपने व्यक्तिगत उपयोग में लावे या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना बन्द कर देवे या ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करे तो सर्वसम्मति से पास करके उस ट्रस्टी को उसके पद से हटाया जा सकता है ।

9. <u>ट्रस्ट पद की पूर्ति</u>

ट्रस्टी नं.2 से 5 का स्थान रिक्त होने पर इस स्थान की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टी द्वारा की जाएगी । संस्थापक ट्रस्टी को ट्रस्ट पंजीकृत होने के एक माह के अन्दर अपना

Scanned with CamScanner

1638/5

17/12/92

5

Scanned with CamScanner

5 RS

मनोनीत सदस्य §संस्थापक ट्रस्वी के लिए§ का पूरा विवरण, जो ट्रस्वी की योग्यताएं पूरी करता हो, मनोनीत फार्म पर ट्रस्ट के सचिव को देना होगा ।

10• <u>ट्रस्ट के पदाधिकारी</u>

1• प्रधान

2• सचिव

3• कोषाध्यक्ष

11• <u>पदाधिकारी की नियुक्ति</u>

संस्थापक ट्रस्वी अपने जीवन काल तक और उसके बाद उस द्वारा मनोनीत सदस्य, संस्थापक ट्रस्वी का कार्यभार सम्भालेगा और सचिव के पद पर ट्रस्वी नं•7 अर्थात उप-मण्डल अधिकारी §ना•§ भिवानी जो भी उस समय होंगे, रहेंगे । कोषाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रधान को होगा ।

12• <u>ट्रस्ट की बैठक</u>

§क§ इस ट्रस्ट की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी । जिसमें ट्रस्ट का वार्षिक लेखा-जोखा व अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया जावेगा ।

§ख§ ट्रस्वी मण्डल की प्रत्येक बैठक की प्रधानता ट्रस्ट का प्रधान करेगा और उसकी अनुपस्थिति में ट्रस्वीगण अपने में से जिसको बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बहुमत से निर्णय लेंगे, उस द्वारा की जावेगी ।

••• 7

Scanned with CamScanner

1638/6

17/12/82

5

Scanned with CamScanner

(ग) ट्रस्ट की हर बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया जावेगा जिनके बारे में एजेण्डा जारी किया गया हो । परन्तु संस्थापक प्रधान की आज्ञा से किसी अन्य विषय पर भी विचार किया जा सकेगा ।

(घ) ट्रस्ट की मीटिंग का हर निर्णय बहुमत से होगा परन्तु मत विभाजन बराबर होने पर प्रधान को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा

13. ट्रस्टीगणों के अधिकार और कर्तव्य

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों तथा नियमों और उप-नियमों का पालन करना ।
2. ट्रस्ट की चल और अचल सम्पत्ति का हर प्रकार से प्रबन्ध करना, उसकी देखभाल करना तथा सुरक्षा हेतु सभी कार्य व उपाय करना ।
3. ट्रस्ट के लिए कोई भी चल व अचल सम्पत्ति ग्रहण करना, खरीदना, बेचना, रहन रखना, बनाना, तुड़वाना, मरम्मत करवाना, किराए या पट्टे पर देना या लेना, तबादला करना या अन्य प्रकार से हस्तांतरित करना ।
4. ट्रस्ट के कार्य भार को चलाने के लिए प्रबन्धक समिति या अन्य कोई समिति या उप-समिति का गठन करना, उनको भंग करना व उनको अधिकार देना व वापिस लेना ।
5. ट्रस्ट के कोष को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकखाने में जमा करवाना या सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना और इसके लिए खाता खोलना तथा उसका विनियोजन करना और ऐसे खातों तथा प्रतिभूतियों का संचालन करना ।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति व ट्रस्ट की उन्नति के लिए कोई धनराशि नकद व अन्य प्रकार के किसी व्यक्ति, ट्रस्ट संस्था, फर्म से लेना व प्राप्त करना।

Bombay

... 8

Scanned with CamScanner

1638/7
17/12/92

5

Scanned with CamScanner

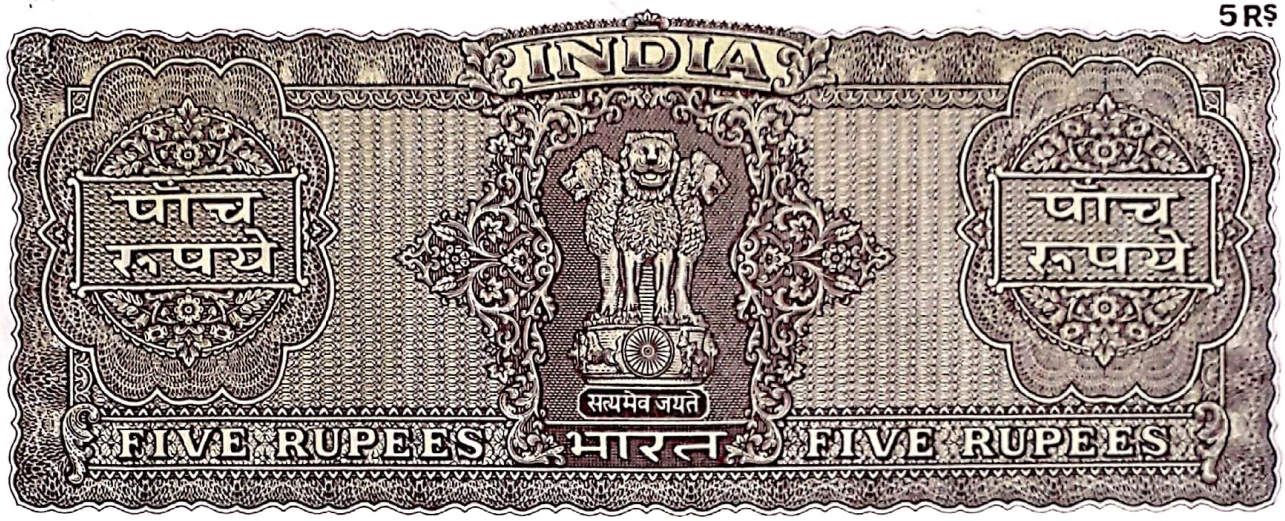

5 RS

7• ट्रस्ट के हितों तथा उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु कोई वाद-विवाद करना तथा ट्रस्ट की ओर से सभी प्रकार के मुकदमात दायर करना व ट्रस्ट के विरुद्ध होने वाले मुकदमात की पैरवी व जवाबदेही करना और उनमें आवश्यकतानुसार कोई राजीनामा करना, पंच नियुक्त करना तथा किसी ऋण की राशि की अदायगी व किसी क्लेम को माफ करना तथा हिसाब-किताब करके रूपए लेना व देना या कोई रूपया छोड़ना या इन कार्यो को करने के लिए किसी को अधिकार देना तथा ट्रस्ट की ओर से किसी को मुख्त्यारे आम या खास नियुक्त करना तथा ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए सम्बन्धित ट्रस्टीगण या ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे । परन्तु ट्रस्टी सिर्फ उसी रकम या सम्पत्ति का जिम्मेवार होगा जो वह ट्रस्ट से स्वयं या ट्रस्ट की ओर से अपने नाम से प्राप्त करेगा ।

8• ट्रस्ट की सारी चल व अचल सम्पत्ति की मरम्मत करवाना तथा उसका निर्माण करना और उसकी सुरक्षा के कार्यो पर खर्च करना, कर-टैक्स आदि की अदायगी करना ।

9• ट्रस्ट के कार्यभार को चलाने के लिए तथा ट्रस्ट से सम्बन्धित व नियंत्रित संस्थाओं के संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको निलम्बित करना तथा उनको कोई अधिकार देना व दिए गए अधिकार वापिस लेना, उनको वेतन देना, उनके वेतन निश्चित करना व न्यूनाधिक करना और उनकी सेवाओं के बारे में नियम और उप-नियम बनाना तथा उनमें संशोधन करना ।

10• ट्रस्ट के हिसाब-किताब को ऑडिट करवाना या इस कार्य के लिए किसी को नियुक्त करना ।

Bamw— wi dve

... 9

Scanned with CamScanner

1638/8
17/11/92

5

Scanned with CamScanner

11. ट्रस्ट की सम्पत्ति के हर प्रकार के टैक्स व कर्मचारियों के वेतन देना और अन्य सम्बन्धित व आवश्यक खर्चे करना ।

12. ट्रस्ट के कार्यभार को चलाने के लिए ऐसे कार्य जिनका वर्णन उम्र नहीं आया हो और उनको करना आवश्यक हो तो ट्रस्टीगणों को उन कार्यो को करने का पूरा अधिकार होगा ।

14. टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति

टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार की जाएगी । समय-समय पर केन्द्रीय (भारत) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों/हिदायतों की पालना की जाएगी ।

15. प्रबन्धक समिति की नियुक्ति

ट्रस्ट के कार्यभार को चलाने के लिए ट्रस्टीगण एक मैनेजिंग कमेटी का गठन करेंगे जिसकी रूपरेखा ट्रस्टीगण 2/3 बहुमत से करेंगे ।

16. ट्रस्ट का हिसाब-किताब

1. ट्रस्टीगणों द्वारा ट्रस्ट की आय-व्यय का हिसाब-किताब रखा जाएगा और उसका निरीक्षण नियमानुसार कराया जाएगा ।

2. ट्रस्ट के हिसाब-किताब का वर्ष वही होगा जो कि भारतवर्ष का वित्तीय वर्ष होगा या ऐसी और कोई अवधि होगी जिसको समय-समय पर ट्रस्टीगण उचित समझेंगे ।

... 10

Scanned with CamScanner

1638/5
17/12/92

Scanned with CamScanner

3. ट्रस्ट का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा जिसका संचालन (लेन-देन) दो ट्रस्टियों द्वारा किया जाएगा । एक ट्रस्टी उपायुक्त महोदय होंगे तथा दूसरा संचालक प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

यदि ट्रस्टीगण चाहें तो 2/3 बहुमत से किसी विशेष सीमा तक लेन-देन करने के लिए प्राचार्य व किसी अन्य को वित्तीय अधिकार दे सकते हैं जिसके लिए अलग से खाता भी खोला जा सकता है ।

17. कोरम तथा प्रस्ताव पास करने का तरीका

ट्रस्टी मण्डल की बैठक का कोरम कम से कम कुल संख्या का 1/2 होगा।

18. निर्णय के लिए बहुमत

ट्रस्ट के तथा प्रबन्धक समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और मत विभाजन बराबर होने पर बैठक के प्रधान को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

विशेष : (क) यदि किसी समय इस ट्रस्ट डीड में लिखित इसके किसी उद्देश्य, नियम या उप-नियम में कोई वृद्धि, संशोधन करना या उसको/उनको हटाना या बदलना आवश्यक हो तो ट्रस्टीगण को 2/3 बहुमत से निर्णय लेने पर ऐसा करने का अधिकार होगा ।

... 11

Scanned with CamScanner

1638/10

17/11/92

J

Scanned with CamScanner

5 RS

§ख§ यदि किसी सूरत में यह महाविद्यालय अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ हो जाए या ट्रस्ट 2/3 बहुमत से स्वयं यह चाहे कि यह संस्था सरकार को सौंपे जानी उचित है तो दोनों ही सूरत में यह संस्था सरकार को सौंप दी जाएगी ।

अतः यह ट्रस्ट डीड §न्यास-पत्र§ आज दिनांक 17•12•1992 को निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष लिख दिया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे ।

भिवानी Drafted by me. N.S. Sharma Advocate 29/7/93.

~~17•12•1992~~

संस्थापक ट्रस्टी/मिकरां

Banwari Lal Jindal

इस न्यास-पत्र का मजमून मैंने मिकरा-संस्थापक ट्रस्टी की हिदायत एवं श्योरिटी के अनुसार तैयार किया है और मिकरा को गवाहान के सम्मुख पढ़कर सुनाया व समझाया गया जो कि उन्होंने सुन व समझ कर दुरूस्त तस्लीम किया व अपने हस्ताक्षर किए हैं । N.S. Sharma Advocate 29/7/93.

§बनवारी लाल जिन्दल सुईवाला§
पुत्र श्री प्रमेश्वरी दास जिन्दल
निवासी - सुई जिला भिवानी, हरियाणा
हाल निवास - 44-ए, कमला नगर
दिल्ली-110007

साक्षी-1 [signature]

§संतलाल मुटरेजा§
प्रधान नगरपालिका तोशाम

साक्षी-2 [signature]

§धर्मपाल§ एच•सी•एस•
नगराधीश भिवानी

Scanned with CamScanner

1638/11

17/12/92

5

Scanned with CamScanner